



Regional Office  
Rajasthan State Pollution Control Board,  
Plot No.-2(A), Road No.-6, Indraprastha Industrial Area,  
Kota-324004

Website:- <http://www.environment.rajasthan.gov.in>

☎ 0744-2490873

RPCB/RO KOTA/Mines-235/ 351-361

Dated: 7/05/24

M/s Saravjeet Singh Anand,  
R/o- 43, Park Lane, Vallabh Nagar,  
District- Kota (Raj.)

Sub: Public Hearing as per the EIA Notification dated 14.09.2006 issued by MoEF & CC, GOI for the proposed "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project", Ref. No. 20221000052896, M.L. No.- 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) by M/s Saravjeet Singh Anand, R/o- 43, Park Lane, Vallabh Nagar, District- Kota (Raj.) regarding.

- Ref: i). District Collector, Kota letter no. -987 dated 14.05.2024.  
ii). This Office letter no. RPCB/RO KOTA/Mines-235/286 dated 07.05.2024.

Sir,

With reference to the above, please find enclosed the format to publicize the same in one major National newspaper and one Regional vernacular Daily newspaper before 28.05.2024 and submit the copy of same in two sets to this Office. It is also pertinent to mention here that the schedule for public hearing is as under:

Project Details	Date & Time	Venue
Public Hearing for the grant of Environment Clearance for proposed "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project", Ref. No. 20221000052896, M.L. No.- 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) by M/s Saravjeet Singh Anand, R/o- 43, Park Lane, Vallabh Nagar, District- Kota (Raj.).	दिनांक - 28.06.2024 समय - प्रातः 11:30 बजे से	भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील- रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा

Also ensure the compliances of COVID- 19 Guideline issued by Central Govt./State Govt. during Public Hearing.

Encl: Draft Adv. Format.

Yours Sincerely


(Amit Soni)

Regional Officer

o/c

Copy to following with the Copies of draft EIA report and executive summary in English / Hindi with soft copy (CD) are enclosed herewith for information and further necessary action:-

1. Member Secretary, RSPCB Headquarters, 4, Institutional Area, Jhalana Dungari Jaipur.
2. Director, Environment Department, Room No. 8240 Second Floor, U-P(SSO) Building, Secretariat, Jaipur.
3. The District Collector, Kota.
4. Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, Aranya Bhavan, Jhalana Dungari, Jaipur.
5. District Industries Centre, Kota.
6. Zila Parishad, Ramganjmandi, District- Kota.
7. SDO, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota.
8. Tehsildar, Chechat, District- Kota.
9. Panchayat Samiti Kherabad, District- Kota.
10. Gram Panchayat- Chechat, Panchayat Samiti- Kherabad, Tehsil- Ramganjmandi/Chechat, District- Kota.

  
Regional Officer

o/c

Received original copies of serial # 2 to 10.



Saravjeet Singh Anand.

98 290 36238.



क्षेत्रीय कार्यालय  
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल  
प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा -324004

E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com

☎: 0744-2490873

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई के लिए आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अंतर्गत **मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द निवासी 43, पार्क लेन, बल्लभ नगर, जिला कोटा (राज.)** द्वारा प्रस्तावित परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" Ref. No. 20221000052896, M.L. No.- 02/2022, Mine lease area- 3.5007 Hectare, falling in cluster of area 17.335 Hectare with proposed Production capacity 9,51,887 TPA (ROM) near Village- Chechat, Tehsil- Ramganjmandi, District- Kota, (Raj.) (Proposal No. SIA/RJ/MIN/433219/2023) हेतु प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं।


चूंकि, **मैसर्स सर्वजीत सिंह आनन्द** द्वारा प्रस्तावित खनन परियोजना यथा "Lime Stone (Building Stone), Lime Stone (Dimensional Waste) & Masonry Stone Mining Project" के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में जन सुनवाई हेतु आवेदन मय दस्तावेजों के राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। और चूंकि, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना बाबत भारत सरकार के पर्यावरण, वन, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।

उक्त परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार निम्न कार्यालयों में उपलब्ध हैं:-

- (1) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना जूंगरी, जयपुर।
- (2) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय जयपुर।
- (3) कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा।
- (4) क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, A-218, अरण्य भवन, झालाना जूंगरी, जयपुर।
- (5) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा।
- (6) जिला उद्योग केन्द्र, कोटा।
- (7) कार्यालय जिला परिषद, रामगंजमण्डी।
- (8) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा।
- (9) कार्यालय तहसीलदार चेचट।
- (10) कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति खैराबाद।
- (11) कार्यालय ग्राम पंचायत- चेचट, पंचायत समिति-खैराबाद, तहसील-रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा।

अतः सर्व साधारण को इस नोटिस के माध्यम से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए जन-सुनवाई हेतु दिनांक 28.06.2024 को "भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र," ग्राम पंचायत चेचट, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील- रामगंजमण्डी/चेचट, जिला-कोटा में समय प्रातः 11:30 बजे उपस्थित होकर अपने सुझाव/आक्षेप, कोविड-19 के सन्दर्भ में जारी गाईडलाइन की पालना सुनिश्चित करते हुए, प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध में लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा, प्लॉट-2(ए), रोड नं. 6, इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र, कोटा (E-mail:- rorpcb.kota@gmail.com) के साथ-साथ मुख्यालय, 4-संस्थानिक क्षेत्र, झालाना जूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

आज्ञा से  
  
(अमित सोनी)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
१/८